न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0 आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0-------------------------------- 100/2018

प्रविष्टि दिनांक -------------------------------- 31.08.2018

उनवान

मोहनलाल पुत्र बदरी जाति ब्राहम्ण निवासी लाम्बा तह0 व जिला टोंक राज0

–आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार टोंक (राज0)
2. सूर्यनारायण पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी लाम्बा तह0 व जिला टोंक राज0
3. रामस्वरूप पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी लाम्बा तह0 व जिला टोंक राज0
4. गोविन्द पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी लाम्बा तह0 व जिला टोंक राज0
5. सीतादेवी पत्नि कैलाशचंद जाति ब्राहम्ण निवासी लाम्बा तह0 व जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री अशोक कासलीवाल–अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय
(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक– 05.02.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख0नं0 321 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 322 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील व जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। आवेदक अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को काश्त करता आ रहा है। आवेदक की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के मौके पर सीमओं के चिन्ह मिट चुके है, जिससे आये दिन पडोसी काश्तकारों से आवेदक व उनके परिवार जनों से झगडा फसाद होता है तथा पडोसी काश्कारान आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि में जबरन घुसने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस कारण आवेदक की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जी टोंक से आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील व जिला टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये। अन्य जो आवेदक के हित में प्रकरण की परिस्थितियों में उचित, आवश्यक एवं लाभप्रद हो प्रदान की जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 ता 5 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की भूमि ख0नं0 322 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा का पूर्व में सीमाज्ञान संबंधी साक्ष्य पत्रावली में नही है। प्रतिवादीगण से पूर्व में सीमाज्ञान बावत कोई प्रार्थना संबंधि साक्ष्य नही है। अतः सीमाज्ञान पूर्व वाद विरूद्ध तथ्य पाये जाने पर वादी का वाद अस्वीकार योग्य है। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2072–75 वाके ग्राम लाम्बा पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी का जवाब भी विधि विरूद्ध है एंव प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। एलआरएक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सीमाज्ञान के अभाव में आवेदन पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि ख.न. 322 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक **05.02.2021** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी • टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक